न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/13/2018 दायर दिनांक 14.05.2018

उनवान

धरमी **बनाम** **बाबरू**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 22.03.2021

–:निर्णयः–

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर व वकील उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अत -पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.23 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested